

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्येक्षण में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देख भाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 20.11.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त कृष्ण मध्देशिया पुत्र किशोर निवासी हसनमक्का साहनी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

“मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्येक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 20.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर राजू चौक के पास से मु0अ0सं0 377/2025 धारा 69, 3(5), 115(2), 352 बी.एन.एस थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप राजभर पुत्र नन्दलाल राजभर निवासी मुहम्मदपुर इन्दारा थाना कोपांगंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

साइबर क्राइम थाना जनपद मऊ टीम द्वारा पीड़ित को वापस कराये 688334/- रु

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन मे व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय नेतृत्व में साइबर थाना टीम द्वारा फ्राड हुये कुल 688334 रुपये को पीड़ित को वापस कराया गया जिसमे वादी-

1- श्री घनश्याम मिश्रा पुत्र स्व. श्री गिरीराज मिश्रा निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ मो.न. 9426612575 ब्हाटसएप मो.न. पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ब्हाटसएप काल कर सीबीआई आफिसर मुम्बई का अधिकारी बताकर अबैध पैसे का लेनदेन बताकर डरा धमका कर डिजिटल आरेस्ट के नाम पर फ्राड कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 11/2025 धारा 318(4).319(2) 3(5),(6) BNS व 66 D It ACT पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये वादी के खाते मे कुल 6 लाख 88 हजार 3 सौ 34 रुपये वापस कराया गया ।

जागरूकता- सोशल मीडिया पर वीडियो काल के माध्यम से डिजिटल आरेस्ट / हाजस आरेस्ट के नाम पर न डेरे व मैसेजिंग ऐप्लीकेशन के जरिए फर्जी ऐप्स इनस्टॉल करने से बचे । सस्ते दामो मे मिल रहे फोन/लैपटाप/अन्य उपकरणो के डिलेवरी के बाद उसे चला कर कन्फर्म होने के बाद ही उसका पेमेन्ट करे । थोड़े निवेश से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देने वाले ऐप्स पर कदापि ट्रेडिंग न करें । यदि आप किसी ठगी के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत आप अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाना/सेल में तत्काल करें या <https://www.cybercrime.gov.in/> पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें या 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क कर भी शिकायत कर सकते हैं ।

साइबर क्राइम थाना टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री आकाश सिंह

मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया

आरक्षी अर्वेन्द्र प्रताप मिश्र

आरक्षी शशिकान्तमणि त्रिपाठी

आरक्षी करन अभिषेक सिंह

आरक्षी प्रभात कुशवाहा

आरक्षी अनूप कुमार

आरक्षी बाबुल सिंह